

गैर-सरकारी संगठनों के वदेशी वित्तपोषण पर प्रतिबंध

प्रलिस के लिये:

गैर-सरकारी संगठन, भारतीय रज़िर्व बैंक, एमनेस्टी

मेन्स के लिये:

वदेशी अंशदान के वनियमन की आवश्यकता, FCRA संशोधन के प्रमुख प्रावधान, नयिमों में कयि गए परिवर्तन

चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्र सरकार ने [बाल अधिकार](#), [जलवायु परिवर्तन](#) और [पर्यावरण परियोजनाओं](#) पर काम कर रहे 10 अंतरराष्ट्रीय [गैर-सरकारी संगठनों \(NGO\)](#) के वदेशी वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- फरवरी 2021 में गृह मंत्रालय (MHA) ने [वदेशी अंशदान \(वनियमन\) अधिनियम, 2010](#) के तहत बैंकों को [नए वनियमन दशा-नरिदेश](#) जारी कयि।

प्रमुख बडि

परचिय:

- भारतीय रज़िर्व बैंक ने पहले कई वदेशी संगठनों को **पूर्व संदर्भ श्रेणी (Prior Reference Category-PRC)** की सूची में रखने के लयि कहा था।

- इसका आशय यह है कि जब भी वदेशी दाता भारत में कसिी प्राप्तकर्ता संघ को धन हस्तांतरति करना चाहता है, तो उसे **गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता** होती है।

- 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों इस सूची में शामिल हैं।

वदेशी योगदान (वनियमन) संशोधन अधिनियम (FCRA), 2020 के तहत प्रावधान:

- इसके लयि आवश्यक है कि कोई भी संगठन जो एफसीआरए के तहत खुद को पंजीकृत करना चाहता है वह कम-से-कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हो और **समाज के बेहतरी के लयि पछिले तीन वत्तीय वर्षों के दौरान उसने अपनी मुख्य गतविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च** कयि हों।

- गैर-सरकारी संगठनों को अपने **दाताओं को प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता** होती है, जिसमें वदेशी योगदान की राश और उस उद्देश्य को नरिदिष्ट करना होता है जिसके लयि उन्हें यह धन दिया जाना प्रस्तावति है।

प्रतिबंध का कारण:

- यह तर्क दिया गया था कि **वदेशी योगदान प्राप्त करने वाले दर्जनों एनजीओ इस फंड की पूर्ण रूप से हेराफेरी या दुरुपयोग** में लपित थे।

- यहाँ तक कि **वर्ष 2010 और 2019 के बीच वदेशी योगदान के अंतरप्रवाह को दोगुना** कयि गया फरि भी कई प्राप्तकर्ताओं ने उस उद्देश्य के लयि फंड का उपयोग नहीं कयि जिसके लयि उन्हें फंड दिया गया था या एफसीआरए अधिनियम के तहत पंजीकृत कयि गया था।

- इन कारणों के चलते केंद्र सरकार को 2011 और 2019 के बीच की अवधि के दौरान 19,000 से अधिक योगदान प्राप्तकर्ता संगठनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने पड़े।

प्रतिबंध का आशय:

- संवैधानिक अधिकारों को हतोत्साहति करना:**

- इन कदमों का प्रभाव संघ, अभवियक्त और सभा की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों को हतोत्साहति करने वाला होगा (अनुच्छेद 19)।

- सरकार ने भारत में [गैर-सरकारी संगठनों](#) के दनि-प्रतदिनि के कामकाज के संबंध में सरकार के वविक, नौकरशाही द्वारा नरित्रण और नरीक्षण में वृद्धि की है।

- NGO के मानवीय कार्यों पर अंकुश लगाना:**

- लालफीताशाही के ज़रयि NGO पर नरित्रण से ये संगठन मानवीय कार्य करने में असमर्थ होंगे।

- यह सरकार, व्यापार, धर्म और राजनीतिक समूहों से स्वतंत्र ज़मीनी स्तर के गैर-सरकारी संगठनों के लिये भारत में कार्य करना और कठिन बना सकता है।
- **दमनकारी स्वतंत्रता:**
 - **FCRA संशोधन, 2020** के पारित होने और **एमनेस्टी** के खिलाफ कार्रवाई में यह भारत को केवल रूस के बाद रखता है, जहाँ सरकार ने वदेशी एजेंट कानून, 2012 और अवांछित संगठन कानून, 2015 को संघ व अभिव्यक्तकी स्वतंत्रता को दबाने के लिये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।
 - अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भारत में कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों की 'आवाज़ को दबाने' के लिये वदेशी योगदान वनियमन अधिनियम के उपयोग पर चर्चा व्यक्त की थी।

आगे की राह

- वदेशी योगदान पर अत्यधिक वनियमन गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है जो ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होगा। यह उन अंतरालों को भरता है जहाँ सरकार अपना काम करने में वफिल रहती है।
- वनियमन को वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिये आवश्यक राष्ट्रीय सीमाओं के पार संसाधनों के बँटवारे में बाधा नहीं डालनी चाहिये और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों की सहायता के लिये किया जा रहा है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/curb-on-foreign-funding-of-ngos>

